E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2021; 3(2): 181-185
Received: 22-02-2021
Accepted: 24-03-2021

मनोज कुमार रावत
शोध छात्र समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

डॉ. एस.एम. मिश्रा
प्राध्यापक समाजशास्त्र, संजय गांधी स्मृति शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सीधी, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
मनोज कुमार रावत
शोध छात्र समाजशास्त्र, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

सीधी जिले में अनुसूचित जनजातियों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

मनोज कुमार रावत, डॉ. एस.एम. मिश्रा

सारांश
भारतीय जनजातियों में सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक स्तरीयकरण में तेजी से परिवर्तन हुआ है, पहले सामाजिक गतिशीलता का मुख्य आधार प्रदत्त परिस्थिति ही थी किंतु अब जनजातियों द्वारा अर्जित गुणों जैसे–विभिन्न पदों में शासकीय/अर्द्धशासकीय निजी संस्थानों में सेवायें, शिक्षा, दक्षता, प्रशिक्षण, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन, धन अर्जन आदि के आधार पर भी दृष्टिगोचर हुआ है। यद्यपि बाह्य सम्पर्क एवं आधुनिकीकरण के प्रभाव के फलस्वरूप जनजातियों की सामाजिक संरचना और संस्कृति में अनेक प्रकार की गतिशीलता एवं परिवर्तन देखने को मिले हैं। जैसे बिहार राज्य के प्रसार एवं भुइया, पालामत्र की पहाड़ी, घेनाज और जलपाईगुड़ी के कूज, बिहार के पोलिया, उत्तरप्रदेश की थाक, छोटा नागपुर के पठार की सन्थाल मुण्डा और कोल बघेलखण्ड पठार अन्तर्गत मध्यप्रदेश के सीधी जिले में गोड़, पनिका, कोल आदि जनजातियों में सामाजिक गतिशीलता की स्थिति पाई गई है।

मुख्यशब्दः सीधी जिला, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक, सांस्कृतिक, समाजशास्त्रीय अध्ययन

प्रस्तावना
मध्यप्रदेश का पूर्वोत्तर जिला सीधी एक आदिवासी बाहुल्य जिलों की श्रेणी में आता है, यहां पर कुल जनसंख्या में लगभग 30 प्रतिशत से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की पायी गई है, यहां पर जनजातियों की उत्पत्ति के विषय में देश एवं प्रदेश की जनजातियों की भांति हुई मानी जाती है, विभिन्न विद्वानों ने जनजाति के उत्पत्ति एवं उनके नामकरण के सम्बन्ध में अपने–अपने विचार व्यक्त किए हैं, जनजातियों की उत्पत्ति एवं उनके मूल स्रोत की खोज करने से पता चलता है कि ये लोगा प्रोटो आस्ट्रेलायड जैसी प्रजातियों से निकले हैं, जो सम्पूर्ण देश एवं प्रदेश के सभी जिलों में छायी हुई थी। जनजातियों की उत्पत्ति से सम्बन्धित दूसरा स्रोत विद्वानों द्वारा मंगोल प्रजाति के लोगों को माना गया है, जो वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में पायी जाती है, जनजाति की उत्पत्ति के संदर्भ में तीसरा स्रोत नीग्रीटो अथवा हब्सी प्रजाति को माना गया है। इस स्रोत की भी जनजाति देश एवं प्रदेश के राज्यों में छायी हुई है।

जनजाति के नामकरण के सम्बन्ध में देश एवं प्रदेश के विभिन्न विद्वानों, साथ ही विभिन्न देशों के शिक्षाविदों एवं मानवशास्त्रियों ने इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा है। सर हरवर्ट रीजले, श्री लेसी महोदय, श्री वेरियर एलविन, श्री ए.वी. टक्कर ने इन्हें आदिवासी नाम दिया है। श्री ग्रियर्सन ने इन्हें पहाड़ीजन जातियां और जंगली आदिवासी कहा है। साथ ही जनजाति को शूवर्ट ने इन्हें आदिवासी नाम दिया है। टैलेण्टस, खैजविक और मार्टिन ने इन्हें प्रेतवादी माना है और डॉ. हट्टन ने उन्हें प्राचीन जनजाति कहा है। वेन्स महोदय ने जनजाति को जंगली लोग, जंगली जनजाति अथवा जंगल निवासी कहा है, वेरियर एलविन महोदय ने बैगा जनजाति को देश का आदि स्वामी बतलाया है, प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री डॉ. धुर्रे ने जनजातियों को पिछड़ा हिन्दू की संज्ञा दी है। डॉ. दास और दास ने विलीन मानवता कहा है। [1]

भारतीय संविधान की धारा 342 का सम्बन्ध अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित एक विशेष व्यवस्था से है। उसमें अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि इनमें वे जनजातियां, जनजातीय सम्प्रदाय या जनजाति और जनजातीय समुदायों के समूह या वर्ण शामिल होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेंगे, ऐसा माना जाता है कि जनजाति के लोग राष्ट्रीय जनसंख्या के प्राचीनतम मानव समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ज्ञातव्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप के आदिवासी एक ही प्रजाति के नहीं हैं। भारत में एशिया की विभिन्न दिशाओं तथा विभिन्न क्षेत्रों से प्रवेश करने वाली विभिन्न प्रजातियों के है। अनुसूचित जनजातियों को निश्चित प्रजातीय समूहों में व्यवस्थित करना संभव नहीं हो सका है।

रिजले, गुहा तथा मजूमदार आदि के द्वारा विभिन्न प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रयास किये गये थे किंतु अब तक वे पूर्णतः विश्वासप्रद सिद्ध नहीं हुए हैं।

इसलिए अनुसूचित जनजातियों की संख्या को एक निश्चित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किये जा सकने के लिए और अधिक मानवशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता है। अनुसूचित जनजातियों को उत्पत्ति तथा अनुवर्ती इतिहास के विषय में हमारा ज्ञान अस्पष्ट है। फिर भी जहां तक ऐतिहासिक काल का सम्बन्ध है, उनके गौरव तथा पतन की कहानी को प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐतिहासिक आंकड़े, अवश्य ही इनके जीवन पर कुछ प्रकाश डालते हैं और हम समस्या की अटकली योजनाओं में लटके रहने के बजाय विश्वसनीय सूत्रों पर भरोसा कर सकते हैं। यह केवल लिपि के अन्वेषण तथा लिखित अभिलेखों के प्रारंभ होने से संभव हो सका है।

भारत में सबसे पहले के ज्ञात आदिवासी समूहों की भूमिका को निश्चित करने के लिए हमें सर्वप्रथम पृष्ठभूमि के रूप में सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन तथा भारत भूमि पर आर्यों के आगमन का संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण करना होगा। भारत भूमि पर सिंधु घाटी की सभ्यता सम्भवतः एक प्रमाणिक क्रमिक उद्विकास की देन है किंतु अप्रवासी विदेशियों द्वारा भारत में स्थापित उपनिवेश का अध्ययन एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है। इस सभ्यता का अचानक उद्भव तथा लगभग बिस्फोटक विकास (चढ़ाव) तथा उसकी स्वतः स्पूर्त विवादि के अनेक कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कारण सिंधु घाटी की अनुकूल परिस्थितियाँ हो सकती हैं। भूमि की अत्यन्त उर्वरा शक्ति की सभ्यता की जनसंख्या एक ही प्रजाति की रही है परन्तु वह वैसी बनी नहीं रह सकी क्योंकि श्मसान स्थलों से प्राप्त कंकाल एक मिश्रित प्रजातीय विन्यास प्रस्तुत करते हैं। उसके पतन तथा विलुप्त होने के कारणों को अभी भी निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता। एक कारण सिंधु नदी की धारा का विपत्तिकारक परिवर्तन हो सकता है जिसके फलस्वरूप विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गये और खेतों में नदी की मिट्टी भर गई चूंकि कालानुक्रम संशोधित किया जा चुका है तथा इस सम्पदा का अन्य लगभग 1750 ईसा पूर्व निश्चित किया गया है। इसलिए उस प्राचीन परिकल्पना को पुनः जीवित किया गया है कि आक्रमणकारी आर्यो, ऋग्वैदिककालीन आर्यों के पूर्वगामी ने हड़प्पा सभ्यता के केन्द्र को नष्ट कर दिया है तथा उसकी जनसंख्या को मार डाला अथवा खदेड़ दिया है। मोहनजोदड़ो में एक भवन की सीढ़ियों पर बिना दफनाये गये कंकालों की प्राप्ति से इस कल्पना को समर्थन प्राप्त होता है।

यद्यपि जनजाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्त के बाद सन् 1950 में जनजातीय समुदायों की पहचान कर 212 जनजातीय समुदायों की सूची तैयार करने के बाद अनुसूचित जनजातीय आदेश वर्ष 1950 में लागू किया गया, इस पर विशेष ध्यान देते हुए पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित संशोधित सूची बनाई गई। अतः इन सूचीबद्ध जनजातियों को ही अनुसूचित जनजाति का नाम दिया गया।

यद्यपि विभिन्न संस्कृतियों का अदभुत समागम भारतीय संस्कृति की विशेषता है, बाह्य रूप से संस्कृतियां हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करती है। अतः किसी संस्कृति विशेष का मूलभूतरूप स्पष्ट नहीं होता। परन्तु जनजातीय संस्कृतियां भौगोलिक पार्थवय के कारण अपनी पहचान बनाये रह सकी है। जनजातियों की संस्कृति सर्वप्रथम इनके भौगोलिक प्रजातीय और भाषाई विशेषताओं के माध्यम से अपनी पहचान प्रदर्शित करती है तत्पश्चात् इनकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास के प्राथमिक साधनों का वर्तमान उदाहरण है। जनजातियों का धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्वरूप हिन्दू धर्म सम्प्रदाय का पूर्णतः प्रतीक है। हमारे देश की जनसंख्या में जनजातियों की एक बहुत बड़ी संख्या पायी जाती है। प्राचीन काल से जनजातियां शिकार करके, मछली मारकर, कृषि कार्य सम्पन्न कर अपना जीवनयापन करते आ रहे थे, विभिन्न विद्वानों, शिक्षाविद्वों मानव शास्त्रियों ने विभिन्न नामों से जनजातियों को सम्बोधित किया है, सर हरवर्ट रोजले, श्री लेसी, श्री अलविन, श्री ए.वी. टक्कर ने इन्हें आदिवासी नाम दिया। श्री ग्रियर्सन ने इन्हें पहाड़ीजन जातियां और जंगली आदिवासी कहा है। शूवर्ट ने उन्हें आदिवासी कहा है। टैलेण्ट्स, सैडविक और मार्टिन ने इन्हें प्रेतवादी माना है और डॉ. हट्टन ने उन्हें प्राचीन जनजाति कहा है। बैस ने उन्हें जंगली लोग, जंगली जनजाति अथवा जंगली निवासी कहा है। एल्विन ने बैगा लोगों को देश का आदिस्वामी बतलाया है। प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री डॉ. घुरे ने उन्हें पिछड़ा हिन्दू कहा है। डॉ. दास और दास ने उन्हें विलीन मानवता कहा है। भारतीय संविधान की धारा 342 का सम्बन्ध अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित एक विशेष व्यवस्था से है। उसमें अनूसचित जनजातियों की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि इनमें वे जनजातियों, जनजातीय सम्प्रदाय या जनजाति और जनजातीय समुदायों के समूह या वर्ग शामिल होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जनजातियों के लोग राष्ट्रीय जनसंख्या के प्राचीनतम मानव समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इधर कुछ समय से इन वर्गों को आदिवासी (आदि प्रारम्भिक वासी–निवासी) वन्य जाति, अरण्य वनवासी, गिरिजन नाम से पुकारा जाने लगा है।

विधि तंत्र :

प्रस्तुत अध्ययन में सम्पूर्ण सीधी जिले की अनुसूचित जनजातियों को सीमांकित करते हुए जिले की जनजातियों को समग्र मानकर सीधी जिले के कुल 05 पांच विकासखण्डों के प्रत्येक विकासखण्ड के 6–6 आदिवासी बाहुल्य ग्रामों से 10–10 अनुसूचित जनजाति के परिवारों के मुखिया का चयन साक्षात्कार हेतु किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन में जिले के कुल पांच विकासखण्डों को अध्ययन की प्रमुख इकाई मानकर अनुसूचित जनजाति के परिवारों का साक्षात्कार हेतु चयन कर सामाजिक गतिशीलता से जुड़े तथ्यों का उत्तरदाताओं से सूचनाओं का संकलन एवं प्राथमिक आंकड़ों का सृजन किया गया। निदर्शन विधि द्वारा चयनित सभी विकासखण्डों से कुल 30 ग्रामों से कुल 300 अनुसूचित जनजाति के परिवारों से लिये गये साक्षात्कार से प्राप्त उत्तर को आधार मानकर प्राथमिक सूचनाओं का तथ्यात्मक वर्णन किया गया है।

शोध साहित्य का पुनरावलोकन

जनजातीय समाज से सम्बन्धित अध्ययनों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि इनके दिन प्रतिदिन के सांस्कृतिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन से सम्बन्धित अध्ययन आदिवासी, ग्रामीण समुदाय की परम्परागत विशेषताओं तथा परिवर्तनशील पक्षों का सामान्य चित्र प्रस्तुत करते हैं। जबकि कुछ विद्वानों ने जनजातीय समुदायों के स्थिर पक्षों को विश्लेषित कर उन पक्षों पर विशेष बल दिया है, (कुमार, एम. 1994 [2], श्रीवास्तव, तारामणि, 1997 [3], शर्मा, विजय शंकर, 1998 [4], मसकरे, शैलवन्ती, 2016) [5] जो उनका अपरिवर्तनशील प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं।

जनजातियों का मूल स्रोत–

भारत की अनुसूचित जनजातियों के मूल स्रोत की खोज करने पर पता चलता है कि वे प्रोटो आण्ट्रेलायड जैसी प्रजातियों से निकली है जो कभी सारे भारत में छाई हुई थी। इनका दूसरा स्रोत मंगोल प्रजाति के लोगों को माना गया है जो अब भी असम में पाये जाते हैं। इनका तीसरा स्रोत नीग्रीटो या हब्सी प्रजाति को माना जाता है। इस स्रोत की जनजातियों में अण्डमान द्वीप के आदिवासी और दक्षिण पश्चिम के कछार शामिल हैं, जैसा कि उनके घुंघराले बालों से स्पष्ट होता है।

भारत की अनुसूचित जनजातियों के लोग इस देश के आदिवासी या देशी लोग है। ये क्रमशः पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व से आने वाले द्राविडों, भारतीय आर्यों और मंगोलों के आक्रमण से अपनी रक्षा न करने के कारण धीरे–धीरे पीछे हटने के लिए बाध्य हो गये क्योंकि आक्रमणकारी न केवल संख्या में उनसे अधिक वरन हथियारों की शक्ति में भी उनसे अच्छी स्थिति में थे। अतः इन आदिवासियों को पहाड़ी भागों और घने जंगलों में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा जहां आज भी वे बड़ी संख्या में निवास करते हैं। अनुमान लगाया गया है कि इनकी संख्या लाखों में है। इनमें से जो मैदानी क्षेत्रों मे छूट गये थे, वे धीरे–धीरे बाहर से आने वाली जातियों में घुल मिल गये अथवा सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण लुप्त हो गये। डॉ. विद्यार्थी और राव के अनुसार ''जनजातियां भारतीय मानव के पुरखों में इतनी अधिक रम गई है कि अब वह भारतीय जनसंख्या का ही एक संमिश्रण बन गया है।

भारतीय जनजातियों की विशेषताएं

भारत की जनजातियां अनेक उपजातियों में विभाजित है जो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। इनमें से प्रत्येक की ऐसी उपजातियां हैं, जिनके अपने रीति–रिवाज है किंतु इन सभी जनजातियों में कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है –

(1) ये जनजातियाँ एक भौगोलिक प्रदेश में, सभ्य जगत से दूर, एकाकी जीवन व्यतीत करती है जिनका निवास स्थान मुख्यतः वनों तथा पहाड़ी भागों में है जहां सामान्यतः पहुंचना कठिन होता है। इनकी झोपड़ियां 8–10 के झुण्ड में एक दूसरे से काफी दूर और पहाड़ी पर होती है। राजस्थान, गुजरात के भील (गरासिया) इसी प्रकार रहते हैं। गोड़ क्षेत्र के मुरिया, उड़ीसा के उच्च प्रदेशों के जुआंग, भुइया, खोड़, खूटिया, सवारा, विरहोर और खारिया जनजातियां असम और मेघालय के नागा, लुशाई, गारो और मिफिर, आन्ध्रप्रदेश के चूहू, केरल के कडार तथा अण्डमान द्वीप के जरावा जनजातियां बहुत ही कम अपने निवास स्थान को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों की ओर आती हैं।

(2) ये परम्परागत हिन्दू जाति के संगठन में सम्मिलित नहीं की जाती वरन् ये अपने आपको एक अर्ध राष्ट्रीय इकाई का समूह मानती हैं, जिनके अपने विश्वास, रीति–रिवाज, नीति, आचार–विचार है और जो ऐसे प्राचीन धर्म को मानती हैं जिसे जीववाद कहा जाता है। इनके विचार में ईश्वर एक है किंतु देवता अनेक हैं और ये आत्माओं में विश्वास करते हैं जो प्रायः पौधे, पत्थरों, नदी, पहाड़, वन, प्रकृति अथवा भूतप्रेत में निवास करती है और जो मानव जीवन के प्रत्येक कार्यकलापों को प्रभावित करती है। कुछ जनजातियां अब बौद्ध धर्म तथा ईसाई धर्म को मानने लगी हैं, कुछ ने हिन्दू धर्म को भी स्वीकारा है किंतु अधिकांश अपने पूर्वजों के ही विश्वास को मानती हैं।

(3) ये तीन प्रजातियों से निकली है – मोटो आस्ट्रेलायड, जो किसी समय सम्पूर्ण भारत में फैली थी, मंगोलायड जो आज भी विशेषतः उत्तर–पूर्वी भारत और उसके सीमान्त क्षेत्रों में पाई जाती है और नीग्रोटो जो कुछ वंशों में अण्डमानी और निकोबारी से सम्बन्धित है। अधिकांश जनजातियां वास्तव में भारत की शुद्धतम आदिवासी है।

(4) ये पुराने ढंग की आर्थिक क्रियाओं से जीवनयापन करते हैं। वनों से कन्दमूल फल एकत्रित करना, नदियों से मछलीयां पकड़ना अथवा घने वनों से पशुओं का शिकार करना, प्राचीन ढंग की सरकती हुई खेती करना था। कहीं कहीं आधुनिक ढंग के औजारों से खेती करना। विरहोर खारिया, हित मारिया, माला पभम, कडार और पनियार शिकार और वन जंतुओं का संग्रहण करते हैं। भूमिया, जुआंग, खोड, नागा, बैगा और पौटी जनजातियां सरकती हुई खेती करती है। ही, संथाल, ओराव, भील, गरासिया, गोड़ बैगा मुंडा, मझवार एवं करवार, एक स्थान पर स्थायी खेती करते हैं। अब संभाल, गोड़, भील, खोह, मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में खानों में भी काम करने लगे हैं।

(5) ये अधिकांश नर मांसाहारी होते हैं जो बन्दर, चूहे, खरगोश, गिलहरी और चिड़ियों का मांस खाते हैं किंतु मिलने पर मोटे अनाज, चावल, कंदमूल, फल, बेर, वृक्षों की पत्तियाँ, शहद का भी उपयोग करते हैं। अण्डे और सुअर का मांस भी काम मे लेते हैं। कुछ जनजातियां चावल, महुए, ताड़ से बनी शराब का भी उपयोग करती हैं।

(6) जो जनजाति भीतरी क्षेत्रों में रहती हैं, वे आज भी प्रायः नग्न अथवा अर्धनग्न अवस्था में रहती है और केवल अपने गुप्तांगों को अथवा वक्ष स्थल को वृक्षों के चौड़े पत्तों, छालों से ढ़क लेते हैं। बालों को खुला रखने, मुंह पर गोदना गुदाने एवं सफेद या लाल रंग से विभिन्न आकृतियां बनाने, बालों में पशुओं के पंख लगाये अथवा गले में लकड़ी, कांच के मणियों की माला, बांस के आभूषण तथा पाव में पीतल या चांदी के गहने भी पहनने का शौक होता है।

(7) सांस्कृतिक दृष्टि से ये एक ही जनजातीय भाषा बोलती है जिनका सम्बन्ध आस्ट्रोएशियाटिक, प्राविडियन आदिवासी या तिब्बती चीनी भाषा परिवार से है।

(8) ये प्रायः खानाबदोश होते हैं जो अपने पशुओं के झुण्डों के साथ घास के लिए घूमते रहते हैं। गछी, बंजारा, करूम्बा, करूवान, मारो, आदि ऐसी प्रजातियाँ हैं। [6]

निष्कर्षतः अध्ययन क्षेत्र में जनजातीय समाज की उत्पत्ति एवं विकास के इतिहास के विषय में काफी विद्वानों में मतभेद की स्थिति बनी हुई है किंतु सर्वप्रथम जनजाति समूहों की उत्पत्ति को स्पष्ट करने के लिए प्रजाति का उद्भव, विकास तथा प्रजातीय आधार का अध्ययन परम आवश्यक है।

जनजातियों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन –

जनजातियां भारतीय समाज की सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर है। इनका देश के सभ्य एवं अन्य समाज की तरह भरपूर योगदान है। भारत को विभिन्न प्रजातियों, सम्प्रदायों, जातियों एवं जनजातियों का अजायब घर कहा गया है। यद्यपि धर्म को किसी वस्तु अथवा शक्ति जो अप्राकृतिक (अलौकिक) तथा परम संवेदनात्मक है, इसके भय के प्रति मानव की एक अनुक्रिया कहा गया है। इस सभ्यता का उत्पाद माना गया है, जब तक टायलर ने विश्वासप्रद ढंग से साबित नहीं कर दिया कि आदिम समाजों को उनकी अपनी प्रकार के धार्मिक क्रियाएं होती है जो सभ्य समाजों से बहुत अधिक भिन्न नहीं होती हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में टायलर के विचार प्रकाशित हुए हैं, किसी भी नृजातिशास्त्री ने किसी भी आदिम समाज का वर्णन बिना धार्मिक विश्वासों तथा व्यवहारों के नहीं किया है। भारत का जनजातीय समाज धार्मिक एवं सांस्कृतिक विश्वासों एवं व्यवहारों का एक रंगीन परिदृश्य प्रस्तुत करता है जो उनकी धार्मिक–सांस्कृतिक पारिस्थितिक दशाओं के साथ उनके समायोजन की अभिव्यक्ति है। वर्ष 1940 के दशक के अन्तिम वर्षों में भारत के विशेष सन्दर्भ में जनजातीय संस्कृति एवं धर्मों को विभिन्न जनगणना रिपोर्टों तथा साहित्यों में जीववाद की संज्ञा दी गयी है। जीववाद का अभिप्राय धर्म के अपरिष्कृत स्वरूप से था जिसमें जादू अत्यंत प्रधान तत्व है। यह मनुष्य की कल्पना एक ऐसे जीवन से गुजरते हुए करता है, जो भुतही संगीत की शक्तियों तथा तत्वों से घिरा हुआ है तथा जिनका स्वरूप अधिकांशतः अवैयक्तिक प्रकार का है। इनमें से कुछ को जीवन की परिधि एवं विविध भागों पर अधिवासी शक्तियों के रूप में माना जाता है। प्रत्येक शक्ति के प्रभाव का अपना क्षेत्र होता है। इस प्रकार एक आत्मा विभिन्न प्रकार की बीमारियों पर अधिष्ठात्री शक्ति वाली हो सकती है। चट्टानों, नदियों तथा झरनों में रहने वाली समस्त प्रकार की

आत्मायें इत्यादि इनके प्रभाव से सम्बद्ध विपत्तियों से बचाव के लिए इनकी बड़ी परिश्रमपूर्वक आराधना की जाती है।

जनजातियां अपने धर्म का पालन करने, अपनी परम्पराएं, रीति–रिवाज, संस्कृति के प्रति बहुत अधिक विश्वास रखती हैं। जीववादी जनजातियों के मन में ऐसी भावना कूट–कूट कर भरी रहती है कि सभी स्थान पवित्र होते हैं क्योंकि उन स्थानों को आत्मा का स्थान माना जाता है। उनमें ऐसा विश्वास होता है कि प्रत्येक स्थान पर आत्मा का निवास होता है तथा किसी भी व्यक्ति को रोगों से मुक्ति एवं उसे दीर्घायु जीवन हेतु उनके साथ शान्तिपूर्वक रहना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित हो जाता है तो सामान्य विश्वास है कि किसी सम्बन्ध का उल्लंघन हुआ है। जादू तथा इन्द्रजाल की कला में कुशल पुरूष तथा महिला यह निश्चय करते हैं कि दुःखी व्यक्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए।

मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति गोड़ है। महाजन जाति भारत के विभिन्न राज्यों के पठारी क्षेत्र में निवासरत हैं, कहीं कहीं सघन वनक्षेत्रों एवं दुर्गम क्षेत्रों में भी ये जनजाति फैली है। गोड़ जनजाति धार्मिक एवं सांस्कृतिक रूप से जीववाद पर विश्वास करते हैं किंतु पिछले पांच सात दशकों विशेषकर देश की आजादी के बाद हिन्दू संस्कृति के सम्पर्क में आ जाने के कारण ऐ लोग सम्पूर्ण हिन्दू धर्म से सम्बन्धित सभी देवी देवताओं की आराधना करने लगे हैं। इस प्रकार जनजातियों में हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म का सम्पूर्ण प्रभाव परिलक्षित है। कुछ जनजातीय क्षेत्रों में घोटुल जैसे संस्थाओं की प्रथा रही है, इन संस्थाओं में युवा वर्ग को धार्मिक क्रियाएं, सांस्कृतिक गतिविधियों, शिकार, वैवाहिक जीवन की शिक्षा तथा सामाजिक कार्यों की शिक्षा देकर निपुण बनाया जाता है। गोड़ जनजातियों में सामान्य रूप से एक विवाह की प्रथा है, कुछ गोड़ जनजातियां एक से अधिक विवाह भी कर लेते हैं, परन्तु इसे इन लोगों में अच्छा नहीं माना जाता, एक से अधिक विवाह अथवा एक से अधिक पत्नी रखने का कारण है कि पहली पत्नी का बांझ होना अथवा धन दौलत/सम्पत्ति का प्रदर्शन/जनजातियों में अन्तर्विवाह सर्वमान्य है, इनमें देवर विवाह भी प्रचलित है, विधवा गोड़ महिला किसी भी पुरूष से विवाह कर सकती है, इन जनजातियों में मृतक का दाह संस्कार एवं मृत्यु भोज का परम्परा का प्रचलन है, धार्मिक रूप से गोड़ जनजाति के लोगों द्वारा जीववाद पर पूर्णतः विश्वास है। [7]

जनजातियों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन की परम्पराएं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक विरासत के रूप में पायी गई है, जैसे कोरबा जनजाति के लोगों में आत्मा, फसलों, वर्षा, पशुओं की अधिष्ठात्री होती है, इसके अतिरिक्त अनेक आत्माएं होती है जो कोरबा लोगों के पड़ोसियों, पुरोहितों प्रमुख आदि के प्रति अभिवृत्ति को नियंत्रित करती हैं। हितकारी अथवा अहितकारी दोनों प्रकार की आत्माओं में विश्वास करता है, जिन्हें मनुष्य के भाग्य को प्रभावित करने वाला माना जाता है। हितकारी आत्माओं की ओर कोई ध्यान नहीं देता, उससे कोई भयभीत नहीं होता है। इस प्रकार उदाहरणार्थ महान सूर्य देवता भुण्डा जनजाति के सिंग वोदा की उपासना बहुत कम ही की जाती है क्योंकि वह सौम्य है तथा किसी को हानि नहीं पहुंचाता। यह आदिम धर्मों का प्रारूप प्रमाणक चिन्ह है, उनका अधिक सरोकार सारी शक्तियों, भयो तथा मंशाओं से होता है किंतु उन लोगों को दोष देना उचित नहीं होगा। निरन्तर प्रेतात्माओं एवं आत्माओं के भय से जीवन व्यतीत करते हैं। सभी लोगों की अपनी आशाएं तथा भय होते हैं तथा जनजातीय धर्म के इस तत्व को ही लक्षित करना तथा यह कहना कि उनका जन्म भय से होता है उनके प्रति अन्याय करना है।

जनजातियों में शायद ही कोई ऐसी जनजाति हो जो धार्मिक न हो, उन्हें अपने धर्म और अपनी संस्कृति के प्रति बड़ी आस्था व विश्वास है। भारत में ऐसी कोई जनजाति नहीं है जो किसी मृतक की आत्मा का संभाव्य आध्यात्मिक शक्ति के रूप में परिवर्तित होने में विश्वास न करती हो। यह विश्वास किया जाता है कि ये आत्माएं घनिष्ठ सम्बन्धियों से सम्पर्क बनाये रखती हैं, उनमें पूर्वजों की पूजा इसी विश्वास का तार्किक प्रतिफल प्रतीत होता है, (नीलगिरि) दक्षिण भारत के तमिलनाडु की पहाड़ियों के टोडा तथा उत्तरी भारत के छोटा नागपुर के पठार की हो, जनजाति को अन्तिम संस्कार के पश्चात से आत्मा की अन्तिम तथा सदा के लिए विदाई को सुनिश्चित करना होता है। टोड़ा जनजाति इस प्रकार के दूसरे समारोह से लौटते समय कांटे फैलाते आते हैं ताकि अपकारी प्रेतात्मा उसके ग्राम में प्रवेश न कर सके। ऐसी जनजातियों में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराएं हैं।

तालिका क्र. 1 : सीधी जिले में उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप संबंधी विवरण

क्र.	परिवार का स्वरूप	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	संयुक्त	36	12%00
2.	एकल	264	88%00

उपरोक्त तालिका 1 से स्पष्ट होता हैं कि 12.00 प्रतिशत संयुक्त परिवार और 88.00 प्रतिशत एकल परिवार शोध क्षेत्र के उत्तरदाताओं के परिवार का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है।

तालिका क्र. 2 : सीधी जिले में उत्तरदाताओं के परिवार के वार्षिक आय संबंधी विवरण

क्र.	वार्षिक आय (हजार रुपयें में)	आवृत्ति	प्रतिशत
1.	5 हजार से कम	126	42.00
2.	6 से 10 हजार	68	22.67
3.	11 से 15 हजार	53	17.67
4.	16 से 20 हजार	42	14.00
5.	21 हजार से अधिक	11	3.67
योग		300	100.00

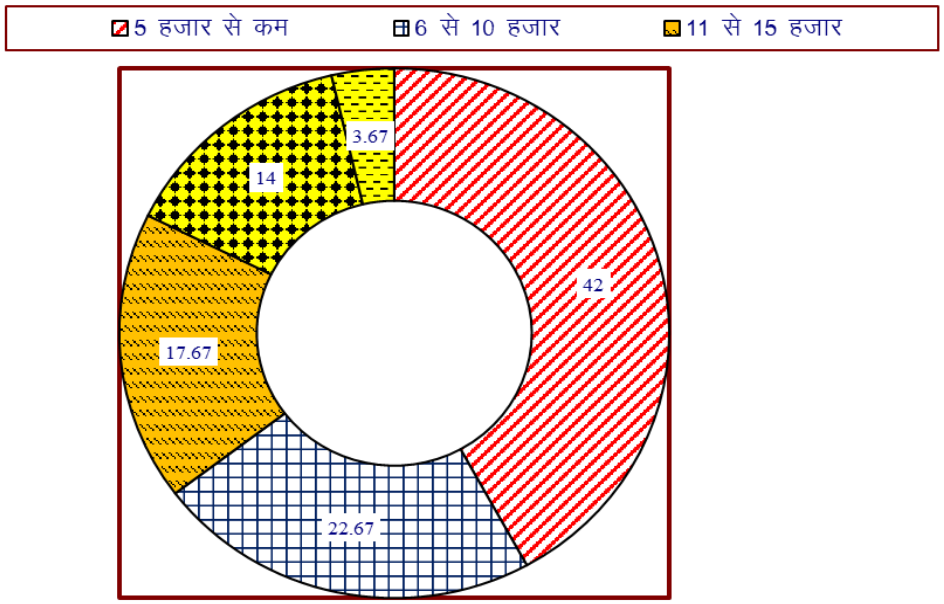

आरेख क्र. 1 : सीधी जिले में उत्तरदाताओं के परिवार के वार्षिक आय का आरेखीय निरूपण

उपरोक्त तालिका 2 से स्पष्ट होता हैं कि 42.00 प्रतिशत उत्तरदाता 5 हजार से कम, 22.67 प्रतिशत 6 से 10 हजार, 17. 67 प्रतिशत 11 से 15 हजार, 14.00 प्रतिशत 16 से 20 हजार और 3.67 प्रतिशत 21 हजार से अधिक वार्षिक आय पाया गया। अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते है कि सर्वाधिक 42.00 प्रतिशत उत्तरदाता 5 हजार से कम पाए गये हैं। आर्थिक स्तर का निम्न पाये जाने का कारण सीधी जिला अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्र होने के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर तथा जागरुकता की कमी के कारण शासन की मुख्य योजनाओं से दूर हैं।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः अध्ययन क्षेत्र की अनुसूचित जनजातियों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन में अनेक समस्याएं अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात हुई है। यहां की निवासरत जनजाति समाज के लोगों में धर्म को बहुत आदर की दृष्टिकोण से देखा जाता पाया गया है। धर्म के भय से ये लोग अनेक प्रकार के अनैतिक कार्यों को करने से अपने को रोके रखते हैं। ईसाइयों के सम्पर्क में आने वाली जनजातियों के बहुत से सदस्य ईसाई बन गये हैं और हिन्दू धर्म के सम्पर्क में आने से अनेक सदस्यों ने हिन्दू धर्म अपना लिया। इससे यह देखा गया है कि एक ही जनजाति में दो धर्मों का प्रचार हुआ–एक तो वे जो हिन्दू अथवा ईसाई हो गये और दूसरे व जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस प्रकार उनमें अब धार्मिक आंदोलन होने लगे हैं। अपने धर्म के प्रति उदासीनता का भाव तथा आस्था में कमी आयी है, जो उनके लिए समस्या बन गई है। विभिन्न धर्मान्दोलनों यथा भगत आंदोलन के कारण उनमें पवित्र एवं अपवित्र की समस्या पनपी है। उनके परम्परागत पुजारियों का प्रभाव क्षीण पड़ता जा रहा है जो उनकी धार्मिक एकता पर संकट की तरह उपस्थित हो गया है। इस प्रकार जनजातियों में एक प्रकार से धार्मिक विघटन की समस्या उत्पन्न हो गई है। धर्म जो सामाजिक नियंत्रण का कार्य करता था उसकी भिन्नता हो जाने से सामुदायिक एकता और संगठन तो टूटने लगे ही हैं, साथ ही साथ पारिवारिक तनाव, भेदभाव और विघटन की प्रक्रिया का प्रारम्भ हो चुका है। नये धर्मों में विश्वास और संस्कार की प्राप्ति तो उन्हें हुई लेकिन इससे उत्पन्न समस्याओं के समाधान के साधन उपलब्ध नहीं हो पाये।

सन्दर्भ

1. हसनैन नदीम (2007) – जनजातीय भारत, रवि मूजमदार जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, संशोधित संस्करण, पृष्ठ 10–15.
2. कुमार, एम. (1994) – आदिवासी संस्कृति एवं राजनीति, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली
3. श्रीवास्तव, तारामणि (1997) – जनजातीय शैक्षणिक विकासः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (सीधी जिले की देवसर आदिवासी विकास परियोजना के विशेष सन्दर्भ में), अप्रकाशित शोध प्रबंध, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
4. शर्मा, विजय शंकर (1998) – विजय प्रकाश, भारत की जनजातीय संस्कृति, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल (म.प्र.)
5. मसकरे, शैलवन्ती (2016) – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं की सामाजिक एवं नेतृत्व विकास पर पंचायत राज का प्रभाव (मध्यप्रदेश के मंडला जिले के विशेष संदर्भ में), Golden Research Thoughts, Volume – 6, Issue - 1, pp 1-6.|
6. हसनैन नदीम (2007) – जनजातीय भारत, रवि मूजमदार जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, संशोधित संस्करण, पृष्ठ 14–19.
7. हसनैन नदीम (2007) – जनजातीय भारत, रवि मजूमदार जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पुनर्मुद्रित संस्करण, पृष्ठ 120–121